

यह निरीक्षण प्रतिवेदन जिला कार्यालय प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कालेज, कुंजा बहादुरपुर, भगवानपुर हरिद्वार, उत्तराखंड, द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कालेज, कुंजा बहादुरपुर, भगवानपुर हरिद्वार, उत्तराखंड, के 04/2012 से मार्च 2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री सुनील दत्त, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री जतिन राणा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी(तदर्थ) द्वारा दिनांक 11.09.2018 से 14.09.2018 तक श्री एस.के. वर्मा, लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-1

1. परिचयात्मक: इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 04/2012 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र: राजकीय इंटर कालेज कुंजा बहादुरपुर, भगवानपुर हरिद्वार, है इकाई का क्रियाकलाप कक्षा 06 से 12 तक के छात्र एवं छात्राओं को शिक्षा प्रदान की जाती है विद्यालय स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन नहीं होता है।

(अ) विगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:

(₹ लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	आवंटन	व्यय	व्यय अधिक्य (+)	बचत (-)
2012-13	2202 (वेतन एवं विद्यालय अनुदान)	29.01	29.00	-	0.01
2013-14	2202 (वेतन एवं विद्यालय अनुदान)	38.32	38.32	-	-
2014-15	2202 (वेतन एवं विद्यालय अनुदान)	64.33	64.33	-	-
2015-16	2202 (वेतन एवं विद्यालय अनुदान)	89.23	85.52	-	3.71
2016-17	2202 (वेतन एवं विद्यालय अनुदान)	112.27	112.27	-	
2017-18	2202 (वेतन एवं विद्यालय अनुदान)	143.98	143.88	-	0.10
	Total	477.14	473.32	-	3.82

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत है:

(र में)

वर्ष	योजना का नाम	प्राप्त		व्यय			बचत	
		GoI	State	GoI	State	Total	GoI	State
2012-13		-----nil-----						
2013-14								
2014-15								
2015-16								
2016-17								
2017-18								
योग:								

(स) कार्यक्रम/योजना/परियोजना के क्रियान्वयन में संलग्न समितियों एवं एन०जी०ओ का विवरण:

S.No	Year	Name of Society/ NGO involved	Government expenditure through Society/NGO
1	2	3	4
1	2015-16	---nil---	
2	2016-17		
3	2017-18		

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। इकाई द्वारा प्राप्त धनराशि को केंद्र एवं राज्य से प्राप्तियों के रूप में अलग अलग नहीं रखे जा रहे हैं। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई "C" श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा है।

1. शिक्षा सचिव,
2. महानिदेशक
3. निदेशक (माध्यमिक)
4. अपर निदेशक (माध्यमिक)
5. संयुक्त निदेशक (माध्यमिक)
6. मुख्य शिक्षा अधिकारी
7. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)
8. खण्ड शिक्षा अधिकारी
9. प्रधानाचार्य- रा.इ.का.

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधि:** लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र राजकीय इंटर कालेज कुंजा बहादुरपुर, भगवानपुर हरिद्वार, है नमूना लेखापरीक्षा को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे हैं। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कालेज, कुंजा बहादुरपुर, भगवानपुर हरिद्वार, उत्तराखंड की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। **माह मार्च 2017 एवं मार्च 2018** को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। इकाई का क्रियाकलाप कक्षा 06 से 12 तक के छात्र एवं छात्राओं को शिक्षा प्रदान की जाती है विद्यालय स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन नहीं होता है

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

STAN

प्रस्तर-1- रोकड़ बही का रख-रखाव नियमानुसार नहीं किया जाना।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड -V पार्ट - I के नियम 27(ए) के अनुसार प्रत्येक कार्यालय द्वारा रोकड़ बही का रख-रखाव किया जाना अनिवार्य है। रोकड़ बही का प्रत्येक पृष्ठ पर पृष्ठ संख्या मशीन द्वारा मुद्रित होनी चाहिये तथा रोकड़ बही के प्रथम पृष्ठ पर रोकड़ बही के कुल पृष्ठों की गणना संबंधी प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा अंकित होना चाहिये। रोकड़ बही की दैनिक एवं मासिक लेखाबंदी के उपरांत सक्षम अधिकारी द्वारा तिथि सहित हस्ताक्षर अंकित होना चाहिये।

प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज बहादुरपुर, भगवानपुर, हरिद्वार की विस्तृत जांच हेतु चयनित माह की रोकड़ की जांच में पाया गया कि रोकड़ बही निर्धारित प्रपत्र में नहीं बनायी गयी थी एक साधारण पंजिका में रोकड़ बही का रख-रखाव किया जा रहा था रोकड़ बही में सफेदा का प्रयोग किया गया था तथा कटिंग व ओवर राइटिंग की गयी थी। एक पृष्ठ पर एक से अधिक माह की प्रविष्टियाँ की गयी थी ,मासिक लेखाबंदी नहीं की गयी थी। एक ही पृष्ठ पर प्राप्ति एवं भुगतान को दर्शाया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा पूछे जाने पर इकाई ने उत्तर में बताया कि रोकड़ बही का रख-रखाव वित्तीय हस्तपुस्तिका के प्रावधान के अनुसार किया गया। विभागीय उत्तर से स्वतः स्पष्ट कि रोकड़ बही का रख-रखाव निर्धारित नियमों के अनुरूप नहीं किया जा रहा है।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो का विवरण:

क्रमांक	प्रतिवेदन संख्या	भाग दो अ	भाग दो ब	नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी
इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है				

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या:

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

-----शून्य-----

भाग-V**आभार**

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कालेज, कुंजा बहादुरपुर, भगवानपुर हरिद्वार, उत्तराखंड**, तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है, तथापि

लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:

-शून्य-

2. **सतत् अनियमितताएं:**

-शून्य-

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं०	नाम	पदनाम	अवधि
1.	श्री कुलदीप सिंह कसाना	प्रधानाचार्य	01.04.2012 से 31.07.2015
2.	श्री दिवाकर प्रसाद शर्मा	प्रधानाचार्य	14.07.2015 से 31.07.2015
3.	श्री देवी प्रकाश	प्रधानाचार्य	01.08.2015 से 18.09.2015
4.	श्री आर.के. चौधरी	प्रधानाचार्य	19.09.2015 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कालेज, **कुंजा बहादुरपुर, भगवानपुर हरिद्वार**, उत्तराखंड, को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार सामाजिक क्षेत्र कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, "महालेखाकार भवन" कौलागढ़, देहरादून-248195 को प्रेषित कर दी जाये ।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.